न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अपीलान्ट – म्यूटेशन अपील सं. – 09/2019

1. रिछपाल पुत्र मोहनराम उम्र 27 साल जाति–जाट निवासी–तरनाऊ
2. परमादेवी पुत्री मोहनराम पत्नि हेमाराम उम्र 38 साल जाति–जाट, निवासी–तरनाऊ हाल निवासी–खंवर तहसील जायल
3. शारदा पुत्र मोहनराम पत्नि रूघारामं उम 32 साल जाति जाट निवासी तरनाऊ हाल निवासी रोल
4. बुली पुत्री मोहनराम पत्नि हुक्माराम उम्र 30 साल जाति–जाट निवासी–तरनाऊ हाल निवासी खंवर तहसील जायल
5. बरजीदेवी पत्नी मोहनराम उम्र 62 साल जाति जाट निवासी–तरनाऊ तहसील जायल

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. भंवरलाल पुत्र मोहनराम भाम्भू
2. रामकुवांर पुत्र मोहनराम भाम्भू
3. जड़ाव देवी पत्नि मोहनराम भाम्भू
4. गीतादेवी पुत्री मोहनराम भाम्भू
5. कमा पुत्री मोहनराम भाम्भू जातियान जाट निवासी तरनाऊ तहसील–जायल
6. सरपंच ग्राम पंचायत तरनाऊ पंचायत समिति जायल
7. दुर्गाराम पुत्र मोहनराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी तरनाऊ हाल निवासी–रोल तहसील जायल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् अपास्त करने नामान्तरकरण संख्या – 1565/05.05.2010 ग्राम पंचायत तरनाऊ पंचायत समिति–जायल

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ स्वयं उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4, के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 स्वय. उपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 परफोर्मा पक्षकारें।

16/8/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दिनांक : 16/8/2021

–: : निर्णय : :–

नामान्तकरण अपील का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम अन्तर्गत धारा 5 सहित पेश किया गया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 परफोर्मा पक्षकार संयोजित किया गया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 का पुश्तैनी बाड़ा खसरा नं. 959/1364 रकबा 0.10 बीघा ग्राम तरनाउ में स्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पिता मोहनराम वल्द लालाराम जाट के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। उक्त बाड़ा का नामान्तरण संख्या 1565 दिनांक 05.05.2010 के जरिये खातेदारी गलत रूप से विधि विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट के पिता मोहनराम पुत्र लालाराम जाट निवासी तरनाऊ के निवासी रहे है तथा नामान्तकरण दिनांक 05.05.2010 को जीवित रहे जिससे उनके स्थान पर नामान्तरकरण शुरू से ही अवैध व शून्य हैं। मोहनराम पुत्र लालाराम नाम के गांव में दो व्यक्ति रहे है एक अपीलान्ट संख्या 1 से 4, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पिता व अपीलान्ट 5 के पति तथा दूसरे मोहनराम पुत्र लालाराम जाट निवासी तरनाउ रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति हुये परन्तु अपीलान्ट की उपजाति कुवांड है तथा रेस्पोडट संख्या 1 से 4, 5 की उपजाति भाम्भू है। इसलिए उक्त नामान्तकरण बिना जांच पड़ताल के जल्दबाजी में अपीलान्ट के पिता के जीवित रहते स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 23.05. 2019 हुई। अपीलान्ट ने अपनी कृषि भूमि पर उताराधिकारी नामान्तकरण हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त खसरा नं. 959/1364 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम होने की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार जांच पड़ताल नहीं की गई तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई के लिए कोई अवसर दिया गया। अतः अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 959/1364 की खातेदारी अपीलान्ट व

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

रेस्पोडेन्ट के पिता/पति का नाम एक होने से मानवीय भूलवशः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम गलत नामान्तकरण किया गया है जो कि अवैध व शून्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे तथा ग्राम पंचायत तरनाऊ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1565 दिनांक 05.05.2010 अवैध व शून्य मानते हुये अपास्त किया जावे।

अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालात नामा पेश किया तथा इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से नामान्तकरण अपील के संबंध में जवाब/आपत्ति पेश नहीं करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 के सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त होने पर अनुपस्थित रहे। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार रेस्पोडटेन्ट संख्या 7 व 8 परफोर्मा पक्षकार मात्र संयोजित किये जाने से जवाब की आवश्यकता नहीं प्रतीत होने से जवाब अवसर बंद किया गया। नामान्तकरण अपील में उक्त नामान्तकरण संख्या 1565 से संबंधीत मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर उक्त नामान्तकरण अपील में आवश्यकता होने तहरीर जारी कर मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब किया गया, तथा नामान्तकरण संख्या 1565 दिनांक 05.05.2010 से मूल रिकॉर्ड से मिलान किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब आपत्ति में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के पैराज सही होना जरिये इकबालिया स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत से मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्राप्त हो चुका है तथा शेष पक्षकारान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है था परफोर्मा पक्षकार मात्र संयोजित किये गये है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण अपील मय प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 सहित का प्रस्तुत किया है, जिस पर वकील रेस्पोडेन्ट ने

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थना पर स्वीकार किये जानेपर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नही की है। इसलिए प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 स्वीकार किया जाता है तथा नामान्तकरण अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है तथा मिसल वास्ते मूल नामान्तकरण अपील बहस हेतु पेश नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट, ने अपील के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 का पुश्तैनी बाड़ा खसरा नं. 959/1364 रकबा 0.10 बीघा ग्राम तरनाउ में स्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पिता मोहनराम वल्द लालाराम जाट के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त बाड़ा का नामान्तरण संख्या 1565 दिनांक 05.05.2010 के जरिये खातेदारी गलत रूप से विधि विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है, जबकि नामान्तकरण तिथी को अपीलान्ट के पिता मोहनराम पुत्र लालाराम जाट निवासी तरनाऊ के निवासी रहे है तथा नामान्तकरण दिनांक 05.05.2010 को जीवित भी रहे। संयोगवशः मोहनराम पुत्र लालाराम नाम के गांव में दो व्यक्ति होने अर्थात एक मोहनराम पुत्र लालाराम अपीलान्ट संख्या 1 से 4, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पिता व अपीलान्ट 5 के पति तथा दूसरे मोहनराम पुत्र लालाराम जाट निवासी तरनाउ रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति हुये परन्तु अपीलान्ट की उपजाति कुवांड है तथा रेस्पोडट संख्या 1 से 4, 5 की उपज़ाति भाम्भू है। इसलिए उक्त नामान्तकरण बिना जांच पड़ताल के जल्दबाजी में अपीलान्ट के पिता के जीवित रहते स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 23.05.2019 हुई। अपीलान्ट ने अपनी कृषि भूमि पर उतराधिकारी नामान्तकरण हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त खसरा नं. 959/1364 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम होने की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार जांच पड़ताल नहीं की गई तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई के लिए कोई अवसर दिया गया। अतः अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 959/1364 की खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता/पति का

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

नाम एक होने से मानवीय भूलवशः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम गलत नामान्तकरण किया गया है जो कि अवैध व शून्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे तथा ग्राम पंचायत तरनाऊ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1565 दिनांक 05.05.2010 अवैध व शून्य मानते हुये अपास्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस दी गई दलीलों को वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 ने स्वीकार किया तथा उक्त नामान्तकरण गलत रूप से भरे जाने से अपास्त किये जाने पर किसी प्रकार आपत्ति होना जाहिर नहीं किया।

बहस वकुलाय, दस्तावेज ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल बैठक रजिस्टर बैठक दिनांक 05.05.2010 के विवरण एवं नामान्तकरण रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें बैठक दिनांक 05.05.2010 को प्रस्ताव संख्या 4 के जरिये उतराधिकार नामान्तकरण संख्या 1565 मोहनराम पुत्र लालाराम जाट के फौत होने फौतगी नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम स्वीकृत किये जाने की पुष्टि होती है। बहस वकुलाय पर मनन किया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रेस्पोडट संख्या 7 व 8 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी तरनाऊ होने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता/पति का नाम भी मोहनराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी तरनाऊ दोनो पक्षकारान के पिता/पति का नाम, जाति, निवासी स्थान एक समान होने से ग्राम पंचायत तरनाऊ द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वाकियात की भूल से सहवन से ग्राम तरनाऊ तहसील जायल के खसरा नं. 959/1364 रकबा 0.10 बीघा भूमि का फौतगी नामान्तकरण संख्या 1565 दिनांक 05.05.2010 स्वीकृत कर दिया गया, जबकि उक्त तिथी को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 पिता/पति जीवित थे, जिसकी पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.06.2019 से होती है। अतः हम उक्त प्रक्रियागत खामी के चलते तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता/पति का नाम, पता एक समान होने से ग्राम

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पंचायत तरनाऊ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सहवन से स्वीकृत किया जाना प्रतीत होता है, जो अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : :–

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 1565 दिनांक 05.10.2010 ग्राम पंचायत तरनाऊ अपीलार्थी के पिता/पति का नाम, पता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता/पति का भी नाम व पता एक समान होने से भूलवशः दर्ज किया गया फौतगी नामानतकरण गलत इन्द्राज होने से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 16/8/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

16/8/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
(रविन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल